क्रम संख्या–82

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0एन0–30/03

(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

देहरादून, शनिवार, 05 जून, 2004 ई0

ज्येष्ठ 15, 1926 साका सम्वत्

उत्तरांचल शासन

आबकारी अनुभाग

संख्या 802/XXIII/04/03/2004 टी0सी0

देहरादून, 05 जून, 2004

अधिसूचना

सा0प0नि0–04

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0 1, सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 की धारा 40 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल द्वारा उत्तरांचल राज्य में देशी/विदेशी मदिरा एवं बियर की फुटकर बिक्री को विनियमित करने की दृष्टि से वित्तीय वर्ष 2004–05 के लिए नवीन आबकारी नीति शासनादेश सं0 780/XXIII/04/03/2004 टी0सी0, दिनांक 31 मई, 2004 द्वारा घोषित की गयी। यह नीति दिनांक 11 जून, 2004 से प्रभावी होगी और दिनांक 10–06–2004 तक वर्ष 2003–04 की आबकारी नीति प्रभावी रहेगी।

1. लाइसेन्स फीस का निर्धारण :

वित्तीय वर्ष 2004–05 हेतु लाइसेन्स फीस का निर्धारण विगत वित्तीय वर्ष 2003–04 में देशी मदिरा की बल्क लीटर बिक्री एवं विदेशी मदिरा की बोतलों की संख्या में बिक्री के आधार पर, वित्तीय वर्ष 2003–04 हेतु निर्धारित स्लैबवार लाइसेन्स फीस में 15 प्रतिशत वृद्धि करते हुए निर्धारित की जायेगी। इसमें से दिनांक 01 अप्रैल, 2004 से 10 जून, 2004 तक के लिए प्राप्त लाइसेन्स फीस घटाकर वित्तीय वर्ष की शेष अवधि अर्थात् दिनांक 11–06–2004 से 31–03–2005 तक की लाइसेन्स फीस निर्धारित की जायेगी।

2. अधिभार का निर्धारण :

देशी/विदेशी मदिरा की दुकानों के लिए वित्तीय वर्ष 2003–04 में वास्तविक निकासी पर देय अधिभार में 15 प्रतिशत वृद्धि जोड़कर वित्तीय वर्ष 2004–05 हेतु अधिभार निर्धारित किया जायेगा। इसमें से दिनांक 01 अप्रैल, 2004 से 10 जून, 2004 तक प्राप्त अधिभार घटाकर वित्तीय वर्ष 2004–05 की शेष अवधि के लिए अधिभार माना जायेगा।

3. राजस्व निर्धारण :

उपरोक्त बिन्दु 1 के अनुसार निर्धारित लाइसेन्स फीस एवं बिन्दु 2 के अनुसार निर्धारित अधिभार के योग में अन्य कर, यदि कोई देय हो, जोड़कर दिनांक 11–06–2004 से 31–03–2005 तक का दुकान का "राजस्व" माना जायेगा।

4. देशी एवं विदेशी मदिरा की दुकानों का व्यवस्थापन :

उक्त प्रकार बिन्दु 3 की व्यवस्थानुसार दुकानवार "राजस्व" निर्धारित करके गढ़वाल मण्डल विकास निगम, कुमाऊँ मण्डल विकास निगम, पूर्व सैनिक कल्याण उद्यम लि०, भूतपूर्व सैनिकों की पंजीकृत सहकारी समितियों, सहकारी संस्थाओं तथा निजी आवेदकों से निर्धारित राजस्व पर देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकान चलाने हेतु आवेदन–पत्र आमंत्रित किये जायेंगे। इस प्रकार प्राप्त आवेदन–पत्रों में जहां एक दुकान के लिए एक से अधिक आवेदक हों उस दशा में लाटरी द्वारा आबंटन किया जायेगा।

उपरोक्त दोनों निगमों, पूर्व सैनिक कल्याण उद्यम लि०, भूतपूर्व सैनिकों की पंजीकृत सहकारी समितियों तथा सहकारी संस्थाओं को छोड़कर उपरोक्त प्रक्रिया में निजी अनुज्ञापी को जनपद में देशी तथा विदेशी मदिरा की एक से अधिक दुकान आबंटित नहीं की जायेंगी, अर्थात् देशी मदिरा अथवा विदेशी मदिरा की केवल एक ही दुकान आबंटित की जा सकेगी।

उपरोक्त प्रक्रिया में यदि कोई देशी व विदेशी मदिरा की दुकान अव्यवस्थापित रह जाय तो उनके व्यवस्थापन के सम्बन्ध में आबकारी आयुक्त द्वारा शासन के अनुमोदनोपरान्त निर्णय लिया जायेगा।

5. पात्रता :

दुकानों के आबंटन की पात्रता हेतु गत वित्तीय वर्ष की भांति उत्तरांचल के स्थाई निवास के साथ ही वित्तीय वर्ष 2003–04 की पात्रता एवं आबंटन की अन्य शर्तें एवं प्रक्रिया भी लागू रहेगी।

6. देशी एवं विदेशी मदिरा की निकासी में अधिभार की गणना :

निकासी हेतु अधिभार का निर्धारण दिनांक 19–07–2002 से प्रभावी है। विदेशी मदिरा की निकासी हेतु अधिभार की दरों में वृद्धि आबकारी आयुक्त द्वारा शासन के अनुमोदनोपरान्त निर्धारित की जायेगी।

7. मदिरा का विक्रय मूल्य :

मदिरा के विक्रय मूल्य के परिप्रेक्ष्य में अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा की प्रवृत्ति पर नियंत्रण लगाया जायेगा। अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा करने पर अनुज्ञापन निरस्त भी किया जा सकता है।

8. विदेशी मदिरा के थोक अनुज्ञापन (एफ0एल0–2) :

विदेशी मदिरा के थोक अनुज्ञापन (एफ0एल0–2) गढ़वाल एवं कुमाऊँ मण्डल विकास निगमों द्वारा आवेदन करने पर उन्हें पूर्ववत् दिये जायेंगे। पूर्व सैनिक कल्याण उद्यम लि०, उत्तरांचल को भी उनके द्वारा आवेदन करने पर विदेशी मदिरा का थोक अनुज्ञापन दिये जाने पर विचार किया जायेगा। एफ0एल0–2 के स्तर पर लिये जाने वाले लाभांश को इस प्रकार तार्किक (Rationalise) किया जायेगा कि इसके कारण उत्तरांचल राज्य में मदिरा अन्य पड़ोसी राज्यों के सापेक्ष मंहगी न हो तथा अवैध तस्करी की सम्भावना न रहे। इसको एक्स आसवनी मूल्यों के आधार पर, आबकारी आयुक्त द्वारा शासन की पूर्वानुमति के उपरान्त निर्धारित किया जायेगा।

9. बार एवं क्लब बार लाइसेन्स :

बार/क्लब बार लाइसेन्स देने के सम्बन्ध में तीन, चार व पाँच सितारा होटलों को बार लाइसेन्स दिये जाने की वर्तमान व्यवस्था यथावत् रहेगी। अन्य होटलों व रेस्त्राओं को बार लाइसेन्स दिये जाने के सम्बन्ध में उत्तरांचल शासन के आदेश संख्या 110–122/सात–लाइसेन्स/बार–नीति/2001–02, दिनांक 06–04–2001 द्वारा जारी की गयी नीति का अनुसरण किया जायेगा :

परन्तु यह प्रतिबन्ध होगा कि प्रश्नगत आवेदक होटल/रेस्त्रां का विगत वित्तीय वर्ष में पके भोजन का विक्रय धन रु0 3.00 लाख (तीन लाख रुपये) से कम न रहा हो।

गढ़वाल एवं कुमाऊँ मण्डल विकास निगमों के पर्यटक आवासगृहों हेतु वित्तीय वर्ष 2002–03 में निर्धारित नीति यथावत् रहेगी।

चार व पाँच सितारा होटल एवं क्लब बारों की लाइसेन्स फीस पूर्ववत् रहेगी। अन्य बार की लाइसेन्स फीस 2.00 लाख रुपये प्रति वर्ष रखी जायेगी परन्तु बार में बीस हजार बोतल तक वार्षिक बिक्री होने वाली मदिरा पर परमिट फीस रु0 30.00 प्रति बोतल के स्थान पर रु0 40.00 प्रति बोतल रहेगी। बीस हजार बोतल से अधिक की बिक्री पर पूर्व वर्ष की भाँति प्रत्येक 10 प्रतिशत की वृद्धि पर रु0 5.00 की दर से अतिरिक्त परमिट फीस लागू रहेगी।

जिन स्थलों पर सीजनल पर्यटकों के आने के कारण कुछ महीनों में ही अधिक व्यवसाय होता है, वहां छः माह की अवधि के लिए भी लाइसेंस दिये जा सकेंगे।

10. बियर बार लाइसेन्स :

पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने की दृष्टि से उन होटल एवं रेस्त्राओं को, जिनकी विगत तीन वर्षों में पके हुए भोजन की बिक्री 3.00 लाख रुपये (तीन लाख रुपये) वार्षिक या उससे अधिक रही हो, उन्हें रुपये 50,000.00 (रुपये पचास हजार) प्रति वर्ष की दर से अनुज्ञापन शुल्क के आधार पर बियर बार लाइसेन्स स्वीकृत किये जायेंगे। इस अनुज्ञापन के अन्तर्गत वह केवल बियर की ही बिक्री करने के पात्र होंगे।

जिन स्थलों पर सीजनल पर्यटकों के आने के कारण कुछ महीनों में ही अधिक व्यवसाय होता है, वहां छः माह की अवधि के लिए भी लाइसेन्स दिये जा सकेंगे।

11. आसवनियों, बॉटलिंग प्लान्ट, ब्रुअरी, विन्टनरी एवं वाईनरी की स्थापना :

(क) आसवनियों की स्थापना हेतु अनुज्ञापन देने पर विचार नहीं किया जायेगा।

(ख) बॉटलिंग प्लान्ट लगाने के लिए पूर्व वर्ष की नीति की भांति ही इस व्यवसाय में पूर्व से ही प्रतिष्ठित एवं ख्यातिप्राप्त निर्माताओं से प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचार किया जायेगा।

(ग) ब्रुअरी, विन्टनरी एवं वाईनरी की स्थापना हेतु पूर्व वर्ष की भांति लाइसेन्स देने पर विचार किया जायेगा।

12. देशी मदिरा के वर्तमान आबंटन क्षेत्र को विगत वर्ष की ही भाँति रखा जायेगा।

13. मांग के अनुज्ञापन में वर्ष 2002–03 की नीति को यथावत् रखा जायेगा।

14. बार एवं क्लब बारों को छोड़कर अन्य लाइसेन्स फीस में भी 15 प्रतिशत वृद्धि की जायेगी। तीन, चार व पाँच सितारा होटल एवं बार/क्लब बारों की फीस उपरोक्त प्रस्तर–9 की व्यवस्थानुसार रहेगी।

15. राज्य के संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए विदेशी मदिरा पर देय अभिकर को 52.00 रुपये प्रति अल्कोहलिक लीटर के स्थान पर 55.00 रुपये प्रति अल्कोहलिक लीटर किया जायेगा।

16. देशी मदिरा में प्रयुक्त होने वाली नई बोतलों की व्यवस्था यथावत् रहेगी।

17. अन्य व्यवस्थाएं विगत वित्तीय वर्ष 2003–04 की ही भाँति रहेंगी।

18. समस्त मदों से संग्रह राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य 300.00 करोड़ रुपये (तीन सौ करोड़ रुपये मात्र) रखा गया है।

19. उपरोक्त के क्रियान्वयन हेतु शासन तथा आबकारी आयुक्त द्वारा आवश्यकतानुसार पृथक से संशोधित नियमावली बनाई जायेगी।

आज्ञा से,
बी०सी० चन्दोला,
सचिव।

NIC 729

पी०एस०यू० (आर०ई०) 2 आबकारी/240-2004-78+200 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

05060402-Pdf
05060402-Pdf